इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना–14

(बिहार सरकार का एक स्वायतशासी संस्थान)

Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225; Website: www.igims.org

ज्ञापांकः

दिनांकः

आदेश

संस्थान द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0–03/Faculty/Nursing College/IGIMS/2019 के तहत अपर प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु श्री संदीप कुमार सिंह, टयूटर, नर्सिंग कॉलेज का चयन EWS कोटा के तहत अपर प्राध्यापक के रूप में किया गया था। उनके द्वारा समर्पित EWS प्रमाण पत्र को अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण) ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर एवं गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के आधार पर जांचोपरांत व सुनवाई पश्चात उनके पत्रांक–35 दिनांक 15.03.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री संदीप कुमार सिंह, टयूटर, नर्सिंग कॉलेज के द्वारा सरकारी नियमों व आचरण का उल्लंघन किए जाने के कारण संस्थान के अधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में संस्थान के पत्रांक–3706/प्रशा0 दिनांक 23.06.2021 द्वारा श्री सिंह से कारण पृच्छा की गयी थी। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया और समीक्षोपरांत उनके विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाते हुए संस्थान के पत्रांक–4374/प्रशा0 दिनांक 26.07.2021 द्वारा उनका दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध श्री संदीप कुमार सिंह, टयूटर, नर्सिंग कॉलेज के द्वारा दिनांक 29.07.2021 को अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री संदीप कुमार सिंह ने अपने अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या साक्ष्य समर्पित नहीं किया है। उनके द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है जिसे उन्होने पूर्व में समर्पित अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया था। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने अपने पत्रांक–556 दिनांक 13.07.2021 द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि श्री संदीप कुमार सिंह को निर्गत EWS प्रमाण पत्र को अभिलेख संख्या–01/2020–21 में विधिवत सुनवाई के पश्चात् रद्द कर दिया गया है।

अतएव जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं श्री संदीप कुमार सिंह के अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत एवं विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया है और पूर्व में दिए गए दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

अतएवं श्री संदीप कुमार सिंह, टयूटर, नर्सिंग कॉलेज का अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दंड को यथावत रखा जाता है।

श्री संदीप कुमार सिंह, अपर प्राध्यापक, नर्सिंग कॉलेज के रूप में की गई नियुक्ति को रद्द करने की कार्रवाई नियुक्ति शाखा अविलंब प्रारंभ कर संसूचित करे।

ह0/–
उप–निदेशक (प्रशा0)
इं0गाँ0आ0सं0, पटना–14

ज्ञापांकः 5198/प्रशा0

दिनांकः 04/09/2021.

प्रतिलिपिः–निदेशक कोषांग/उप निदेशक(प्रशा0)/चिकित्सा अधीक्षक–I&II/Dean(Acadmic)/Dean (Examination)/मुख्य प्रशासी पदाधिकारी/प्रशासी पदाधिकारी–I&II/वित्त एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी/सभी विभागध्यक्ष/प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज/श्री संदीप कुमार सिंह, नर्सिंग टयूटर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ई0गां0आ0सं0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, नियुक्ति शाखा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ। निदेश है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अग्रेतर कारवाई की जाए।

प्रतिलिपिः–S.E. (BME) को सूचनार्थ एवं विभागीय website पर upload करने हेतु प्रेषित।

03/09/21

उप–निदेशक (प्रशा0)
इं0गाँ0आ0सं0, पटना–14